

Social-Security Pension Application (Old-age / Widow / Disability)

दस्तावेज प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग : तैयार किया गया 14 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

सामाजिक-सुरक्षा पेंशन आवेदन — वृद्धावस्था (NSAP या राज्य), विधवा, या निःशक्तता पेंशन — आयु/आय/स्थिति प्रमाण, बैंक व Aadhaar सीडिंग व अनुवर्ती जुटाकर यह टूल तैयार करता है ताकि पात्र आवेदक स्थानीय एजेंट को दिए बिना पेंशन पाए।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

आवेदक को पात्र पेंशन योजना से मिलाकर, आयु/आय/स्थिति मानदंड पुष्टि कर, दस्तावेज व आवेदन-सामग्री तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

योजना-मिलान, दस्तावेज-सूची व आवेदन-सामग्री का उपयोग स्थानीय निकाय में वृद्धावस्था/विधवा/निःशक्तता पेंशन दाखिल करने, बैंक व Aadhaar सीडिंग पूरी करने, और स्वीकृति तक अनुवर्ती के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

स्वीकृति-प्राधिकरण — ग्राम पंचायत/ब्लॉक या ULB व सामाजिक-कल्याण विभाग ; पेंशन Aadhaar-सीडेड बैंक खाते में जमा।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

आयु, आय/BPL व स्थिति प्रमाण (विधवा हेतु मृत्यु प्रमाणपत्र, निःशक्तता हेतु निःशक्तता प्रमाणपत्र) और बैंक/Aadhaar विवरण सहित स्थानीय निकाय को आवेदन करें, और स्वीकृति हेतु अनुवर्ती करें।

शुल्क और खर्च

कोई सरकारी शुल्क नहीं ; केवल समर्थक प्रमाणपत्रों का खर्च।

इसकी जाँच किससे कराएँ

पेशेवर आवश्यक नहीं ; प्रमाणपत्र तहसील/SDM से और स्थानीय निकाय पात्रता सत्यापित करता है।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

योजना व राशि राज्य व श्रेणी अनुसार भिन्न और Aadhaar-बैंक सीडिंग जमा हेतु आवश्यक ; छूटा स्थिति/आय प्रमाण स्वीकृति रोकता है। स्थानीय निकाय से सत्यापित करें।

साथ के दस्तावेज

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।

